मुन्तकिली प्रकरण सं0 71/2016 अनवानी सतविन्द्रसिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाली तहसील सादुलशहर बनाम 1–नक्षत्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वली तहसील सादुलशहर 2–दर्शन कौर उर्फ अरविन्द्र कौर पत्नि दर्शन सिंह पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी करडवाली तहसील सादुलशहर 3–उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर 4–तहसीलदार सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.10.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्रीमति मन्जु गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित राजस्व वाद अनवानी सतविन्द्र सिंह बनाम नक्षत्र सिंह आदि धारा 88, 188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1870
18-10-16

यह आदेश आज दिनांक 17.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर